नम्बर व ता. अ...
जो इस हुक्म ...
तामील में जारी ...

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2021

बउनवान

घीसीबाई पत्नि रामचंद्र जाति माली निवासी शिव वाटिका झालावाड़ रोड बारां जिला बारां

(अपीलांटा)

बनाम

चेतन कुमार पुत्र रामचंद्र जाति माली निवासी शिव वाटिका झालावाड़ रोड़, बारां जिला बारां

(रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.09.2021 प्रकरण संख्या 255/21
कार्यवाही अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम न्यायालय तहसीलदार बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट (अपीलांटा)
2. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 08.02.2023

अपीलांटा की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो. द्वारा ग्राम आमापुरा की आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.33 है. हिस्सा 1/2 गुलाबबाई पत्नि मूलचंद के नाम दर्ज की मृत्यु हो जाने से अपने नाम मुताबिक नोटेरी वसीयत दिनांक 25.11.2003 अपने नाम दर्ज करवाने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर बाद जांच निर्णय प्रदान कर उक्त आराजी हिस्सा 1/2 पर गुलाबबाई के स्थान पर रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालय ने भू राजस्व अधिनियम की धारा–133, 134, 135, 135(2) के अंतर्गत प्रक्रिया अनुसार जांच नहीं की। उक्त वसीयत दिनांक 25.11.2003 पूर्ण रूप से फर्जी, कूटरचित है। वसीयत पर गुलाबबाई का अंगूठा भी नहीं है और गुलाबबाई की मृत्यु के 6 वर्ष पश्चात अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही का कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही कोई बयान लिए। गवाह सत्यनारायण का बयान शपथ पत्र के रूप में लिया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी मां गुलाबबाई की उक्त आराजी का इंतकाल खोलने का आवेदन दिनांक 20.01.2021 को प्रस्तुत करने पर भी उसको नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है। ... इतना है जिसके बाबत वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। रेस्पो... के ... प्रार्थना पत्र की दिनांक को 42 वर्ष शादीशुदा, बाल बच्चेदार है। ... उस समय उसकी आयु 24 वर्ष होती है। इस आयु का व्यक्ति हिन्दू ... अधिनियम के अंतर्गत ... की योग्यता नहीं रखता। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रमाणित प्रति ... संख्या 22/21 श्यामकुमार बनाम घींसीबाई, चेतन प्रस्तुत की गई थी। इसके बावजूद किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं होना मानकर निर्णय पारित कर त्रुटि की है। उक्त निर्णय की आड़ में रेस्पोडेन्ट अपने नाम दर्ज आराजी को विक्रय करने पर आमादा है जबकि विभाजन का वाद

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1 में लंबित है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2021 निरस्त फरमाते हुये, उक्त आराजी का इंतकाल अपीलांटा के नाम खोला जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांटा को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपंजीकृत, फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मृतक गुलाबबाई के हिस्से की 1/2 आराजी का इंतकाल रेस्पोडेन्ट के नाम खोला जिसकी आड़ में रेस्पोडेन्ट विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है। अपंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल नहीं खोला जा सकता। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटा ने विधिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पृष्ठ 553, 2020 आरबीजे पृष्ठ 301 तथा 2020 आरबीजे पृष्ठ 1 पेश करते हये अपीलांटा की अपील स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित सम्पत्ति बाबत वाद क्रमांक 22/21 श्यामलाल बनाम घीसीबाई वगैरह माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, बारां में लम्बित है। जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 24/21 आदेश दिनांक 26.10.2021 से खारिज हो चुका है। जब तक उक्त वाद का निर्णय नहीं होता तब तक इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आरएलड्ब्ल्यू 2010(2) आर जे पृष्ठ 1328 पेश करते हुए अपील अपीलांटा खारिज किये जाने का कथन किया।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांटा ने कथन किया कि माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम–1, बारां में लम्बित वाद क्रमांक 22/21 श्यामलाल बनाम घीसीबाई वगैरह में भाई ने सिर्फ बंटवारे का दावा किया है। इस वाद की सत्यापित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई थी। उक्त वाद लम्बित होने से अन्तर्गत धारा 135 (2) कोई Relief नहीं मिल सकता। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं परन्तु अपीलांटा को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को मृतक गुलाबबाई के समस्त वारिसान की सुनवाई कर नामातंकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। [illegible] अलावा वसीयत के गवाह पूरणमल पुत्र मांगीलाल व पहचानकर्ता सत्यनारायण पुत्र [illegible] के [illegible] के आधार पर गुलाबबाई द्वारा स्वंय के सामने वसीयत पर [illegible] के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया है परन्तु उक्त गवाहों से जिरह करने का मौका अपीलांटा को दिया जाना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वसीयत की सत्यता साबित नहीं होना पाया जाता है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत आरआरडी 1998 पृष्ठ 553, 2020 आरबीजे पृष्ठ 301 व 2020 आरबीजे पृष्ठ 1 के अनुसार अपंजीकृत वसीयतनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:48 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर नामांतरकरण तस्दीक नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां के प्रकरण संख्या 255/21 बउनवान चेतन बनाम घींसीबाई में पारित आदेश दिनांक 07.09.2021 अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक गुलाबबाई के समस्त वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर व उनके बयान दर्ज कर उन्हे जिरह का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.22 12:46:48 IST
Reason: SelfAttested